न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 09/2022

बउनवान

रूकमणी बाई आयु 40 वर्ष पुत्री स्व0 श्री छीतरलाल पत्नि पप्पूलाल, जाति बैरवा, निवासी ग्राम दुर्जनपुरा, तहसील बारां हाल निवासी चन्द्रेसल रोड़, गोपाल विहार, रंग तालाब कोटा तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (राज.) (अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां जिला बारां (राज0) (रेंस्पोडेंट)

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 531 दिनांक 17.05.2012 तहसीलदार बारां अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :- 1. श्री निर्भय सिंह चौहान एडवोकेट (अपीलांट)
2. परोकार सरकार (रेंस्पोडेंट)

निर्णय दिनांक 30.01.2023

अपीलांटा की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खोले गये इंतका में अपीलान्ट का नाम रूकमणी बाई का नाम सहवन एवं राजस्व कर्मियों की त्रुटि से द्वारिका बाई गलत दर्ज कर दिया गया। जबकि इंतकाल खुलने से पूर्व समस्त दस्तावेजात में अपीलांट का नाम रूकमणी बाई नाम दर्ज था। अपीलान्ट का राजस्व कर्मचारियों ने त्रुटिवश आराजी खाता संख्या नया 598 पुराना 188 खसरा नं0 2061/745 रकबा 1.63 है वाके माल कलमंडा में तथा आराजी खाता संख्या नया 220 पुराना 66 खसरा नं0 236 रकबा 0.88 है0, खसरा नं0 315 रकबा 0.02 है., खसरा नं0 74 रकबा 1.00 है0 कुल 4 किता कुल रकबा 2.37 है0 वाके माल दुर्जनपुरा तहसील बारां में अपीलान्ट का नाम रूकमणी बाई की जगह द्वारिका बाई गलत दर्ज कर दिया है। उक्त इंतकाल में गलत नाम दर्ज होने की वजह से अपीलान्ट सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रही है क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड में द्वारिका बाई नाम दर्ज है। जबकि अन्य समस्त दस्तावेजात में रूकमणी बाई नाम दर्ज है। इस विरोधाभास की वजह से आराजी पर किसी भी सुविधा का लाभ अपीलान्ट को नहीं मिल रहा है, जिससे अपीलान्ट को भारी आर्थिक असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। अतः अपीलांटा की अपील स्वीकार किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 531 दिनांक 17.05.2012 तहसीलदार बारां को शून्य घोषित किये जाने एवं उक्त इंतकाल में अपीलान्ट का नाम द्वारिका बाई के स्थान पर रूकमणी बाई दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

अपील पेश होने पर नियमानुसार रजिस्टर्ड की जाकर रेस्पोडेन्ट को तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.02.13 12:07:49 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी खाता संख्या नया 598 पुराना 188 खसरा नं0 2061/745 रकबा 1.63 है वाके माल कलमंडा में तथा आराजी खाता संख्या नया 220 पुराना 66 खसरा नं0 236 रकबा 0.88 है0, खसरा नं0 315 रकबा 0.02 है., खसरा नं0 74 रकबा 1.00 है0 कुल 4 किता कुल रकबा 2.37 है0 वाके माल दुर्जनपुरा तहसील बारां में अपीलान्टा का नाम रूकमणी बाई की जगह द्वारिका बाई गलत दर्ज कर दिया है। अतः अपीलांटा की अपील स्वीकार किया जाकर नामान्तकरण संख्या 531 दिनांक 17.05.2012 तहसीलदार बारां को शून्य घोषित किये जाने एवं उक्त इंतकाल में अपीलान्ट का नाम द्वारिका बाई के स्थान पर रूकमणी बाई दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

दौराने बहस पेराकार सरकार द्वारा अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुए कथन किया कि तत्समय उपलब्ध जानकारी अनुसार नामान्तरकरण बाद जांच ही दर्ज किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचारण किया गया। न्याय हित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के कथन पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा द्वारका बाई का नाम रूकमणी बाई होना, अंकित किया गया है, परन्तु उसके द्वारा छीतरलाल की पुत्री होने बाबत कोई दस्तावेज पेश नही किया गया। वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 9 व सभापति नगर परिषद, बारां का प्रमाण पत्र पेश किया है। जिसके अनुसार द्वारिका बाई उर्फ रूकमणीबाई पुत्री छीतरलाल जाति बैरवा निवासी दुर्जनपुरा तहसील बारां जिला बारां की रहनेवाली है, जिसकी शादी कोटा कर दी गई है। इसका आधार कार्ड में नाम रूकमणी बाई है, दोनो नाम एक ही है। ऐसी स्थिति में अपीलांटा की अपील स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

अतः अपील अपीलांटा स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 531 दिनांक 17.05.2012 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार बारां को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक छीतरलाल की पुत्री के संबंध में पुनः जांच कर सही नाम से नामांतरकरण दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलेक्टर न्यायालय बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.02.13 12:07:49 IST
Reason: SelfAttested

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर,बारां
जिला कलक्टर
बारां (राज०)